

यौन संबंधी उत्पीड़न एवं अंतरवैयक्तिक हिंसा के संबंध में अप्रवास और विज्ञा संबंधी जानकारी

ऐसे अंतराष्ट्रीय विद्यार्थी और स्कूलर जिन्हें अपने अप्रवास तथा विज्ञा की स्थिति के संबंध में प्रश्न करने हों, उन्हें अप्रवास अटॉर्नी से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। यह दस्तावेज़ कानून के कुछ स्वरूपों की व्याख्या करने का संसाधन है, लेकिन यह कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

मैं प्रताड़ना का शिकार रहा/रही हूँ, क्या मेरी अप्रवास की स्थिति से ऑन-कैम्पस संसाधनों को एक्सेस करने की मेरी क्षमता प्रभावित होती है?

नहीं। कानून के अंतर्गत अप्रवास और विज्ञा की स्थिति पर ध्यान न देते हुए 1972 एजुकेशन अमेंडमेंट के टाइटल IX (टाइटल IX) और द वॉइलेंस अगेस्ट वूमन एक्ट (VAWA) के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थी जो कि जो कि यौन और अंतरवैयक्तिक हिंसा के शिकार होते हैं, उन्हें समान अधिकार दिए गए हैं।

कैम्पस में उपलब्ध दवाइयों तथा सलाह संबंधी संसाधनों साथ ही साथ उपलब्ध आवास के संबंध में जानकारी निम्न पर मिल सकती है:

<https://1is2many.okstate.edu/>

विद्यार्थियों के व्यवहार के संबंध में जानकारी निम्न पर मिल सकती है:

<https://studentconduct.okstate.edu/code>

अपराध पर रिपोर्ट करने के आधार पर कॉलेज आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा या किसी भी तरह से अलग व्यवहार नहीं करेगा।

क्या मैं आपराधिक दंड को दस्तावेज़ीकृत या गैर-दस्तावेज़ीकृत अप्रवासी के रूप में मुद्रित कर सकता हूँ?

हाँ, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, डेटिंग संबंधी हिंसा और पीछा करने के संबंध में राज्य की आपराधिक परिभाषाओं के बारे में जानकारी वार्षिक सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट में पायी जा सकती है:

<https://police.okstate.edu/annual-security-reports>

दंड लगाए जाने के संबंध में विशिष्ट प्रश्न निम्न पर भेजे जा सकते हैं :

Oklahoma State University Police Department, OSUPD

104 USDA Building, Stillwater, Oklahoma 74078

405-564-6523

<https://police.okstate.edu/>

1is2many@okstate.edu

क्या अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट विज्ञा और अप्रवास स्थिति है?

हाँ। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, डेटिंग संबंधी हिंसा तथा पीछा करने के संबंध में शिकार व्यक्तियों के लिए यू और टी विज्ञा सहित अन्य विज्ञा विकल्प शामिल हो सकते हैं। विशिष्ट जानकारी के लिए अप्रवास अटॉर्नी से संपर्क करें।

U विज्ञा	T विज्ञा
आपराधिक गतिविधियाँ जिसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, रेप, हमला या अन्य संबंधित अपराध शामिल हैं, के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के शिकार व्यक्तियों के लिए -शिकायत करने वाला व्यक्ति/आवेदक उक्त आपराधिक गतिविधि का शिकार होना चाहिए और वह आपराधिक गतिविधि की जाँच और/या उसके अभियोजन में सहायक होना चाहिए -आमतौर पर चार वर्षों के लिए मान्य -अधिक जानकारी के लिए, अप्रवास अटॉर्नी से संपर्क करें और निम्न देखें: http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status	ह्युमन ट्रेफ़िकिंग के शिकार व्यक्तियों के लिए -यह ट्रेफ़िकिंग संबंधी अधिनियमों की जाँच या उसके अभियोजन के संबंध में सहयोग के लिए कानून प्रवर्तन से तर्कसंगत अनुरोधों के अनुपालन में होना चाहिए (जब तक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक टॉर्मा के कारण सहयोग करने में असमर्थ हो), और यह दर्शाने में सक्षम होना चाहिए कि शिकार/आवेदनकर्ता को संयुक्त राज्य से निकाल दिए जाने पर कितनी कठिनाइयाँ होती हैं -आमतौर पर चार वर्षों के लिए मान्य -अधिक जानकारी के लिए अप्रवास अटॉर्नी से सलाह लें और निम्न देखें: http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

क्या कैम्पस में ऐसा कोई कार्यालय है, जो कि मुझे अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सके?

, International Students & Scholars
250 Student Union, Stillwater, OK 74078
405-744-5459

<https://lcl.okstate.edu/iss/>

su-iss@okstate.edu

अंतराष्ट्रीय विद्यार्थी और स्कूलर सेवा संबंधी कार्यालय अप्रवास की स्थिति के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दें कि अन्य विज्ञा संबंधी स्थितियों में परिवर्तन के बारे में प्रश्नों या मानक F-1 और J-1 स्टूडेंट विज्ञा या एम्प्लॉयर द्वारा प्रायोजित कार्य विज्ञा के बाहर आने वाले कानूनी विकल्पों या नियोक्ता द्वारा प्रायोजित कार्य विज्ञा के लिए योग्य अप्रवास अटॉर्नी से संपर्क करें।

विज्ञा संबंधी विकल्प

F-1 और J-1 स्थिति विद्यार्थी • लाइसेंसीकृत चिकित्सक, डॉक्टर ऑफ ओस्टियोपैथी या लाइसेंसीकृत क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रमाणित चिकित्सा स्थितियों के कारण कम किए गए पाठ्यक्रम-लोड संबंधी अनुमोदन हेतु विकल्प • आपके अकेडेमिक कार्यक्रम से निकल जाने के विकल्प और उसके परिणाम। • अगर विद्यार्थी पाठ्यक्रम को छोड़ना चाहते हैं, तो किसी बाद के दिनांक में अकादमिक कार्यक्रम को छोड़ने संबंधी जानकारी • पति/पत्नी का साथ देने के लिए विकल्प और उसके परिणाम • विज्ञा की स्थिति बदलने के लिए विकल्पों पर सामान्य जानकारी। • यू और टी विज्ञा पर सामान्य जानकारी (योग्य अप्रवास अटॉर्नी के संबंध में) • योग्य अटॉर्नी के संबंध में	H-1B, O-1, E-3 या TN कर्मचारी • अनुपस्थिति में कार्य अवकाश हेतु विकल्प और आपकी अप्रवास संबंधी स्थिति के परिणाम • पति/पत्नी के लिए विकल्प और उसके परिणाम • विज्ञा की स्थिति बदलने के लिए विकल्पों पर सामान्य जानकारी। योग्य अप्रवासी अटॉर्नी के संबंध में • यू और टी विज्ञा पर सामान्य जानकारी। (योग्य अप्रवासी अटॉर्नी के संबंध में) • योग्य अप्रवासी अटॉर्नी के संबंध में • लंबित अमेरिकी स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड अभी तक स्वीकृत नहीं है) • आपके द्वारा अपने रोजगार को छोड़ने का आपके लंबित नियोजित-प्रायोजित स्थायी निवास आवेदन पर प्रभाव: • योग्य अटॉर्नी के संबंध में
---	---

ईमीग्रेशन लॉयर कौन होते हैं और वे क्या करते हैं?

ईमीग्रेशन लॉयर ऐसे लाइसेंसीकृत अटॉर्नी होते हैं, जो कि अप्रवास संबंधी कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। वे क्लाइंट के सलाहकार के रूप में काम करते हैं और ईमीग्रेशन कोर्ट में साथ ही साथ अप्रवास संबंधी लाभों के लिए आवेदन भरने के संबंध में अप्रवास एजेंसी से पहले ही उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वकील सामान्य सलाह दे सकता है और अप्रवास संबंधी नीतियों पर चर्चा कर सकता है। सभी वकीलों की तरह ईमीग्रेशन लॉय पेशेवर नैतिकता और कानूनी आवश्यकताओं के अंतर्गत काम करते हैं और क्लाइंट के साथ हुई चर्चा को गोपनीय रखते हैं।

मुझे स्थानीय अप्रवासी अटॉर्नी कहाँ पर मिल सकता है?

यू.एस. नागरिकता और अप्रवास संबंधी सेवाएँ (USCIS), डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) का ब्यूरो, लोगों को निःशुल्क या कम कीमत या सस्ते में सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दो साइटों का प्रस्ताव देता है: USCIS: अपने सामुदायिक वेबपृष्ठों में सहायता प्राप्त करें USCIS: कानूनी सेवा संबंधी वेबपृष्ठ प्राप्त करें द बोर्ड ऑफ़ ईमीग्रेशन अपील (BIA), राज्य के अनुसार ऐसे अटॉर्नी की सूची प्रदान करता है, जो कि या तो निःशुल्क रूप से या फिर बहुत सस्ते में अप्रवास सेवाएँ प्रदान करते हैं। अमेरिकन ईमीग्रेशन लॉयर एसोसिएशन (AILA) ऐसी ऑनलाइन ईमीग्रेशन लॉयर रेफरल सेवा प्रदान करता है, जिससे कि विद्यार्थी या स्कॉलर को अप्रवासी लॉयर खोजने में सहायता मिलती है। अमेरिकी बार एसोसिएशन राज्य के अनुसार कानूनी सेवाएँ खोजने पर भी जानकारी प्रदान करता है।
